परिशिष्ट –13

भूमि– भवन प्रमाण पत्र प्रारूप

क्रमांक 382 दिनांक 25/2/26

द्वारा तहसील / ~~नगरपालिका~~ / ~~नगरनिगम~~ / ~~विकास प्राधिकरण~~

सूरोठ (करौली)

सेवामें

आयुक्त

कॉलेज शिक्षा राजस्थान

जयपुर

संस्था का पत्र क्र.- 1513/R.20.02.26

विषयः भूमि–भवन प्रमाण पत्र

~~इंदिरा गांधी स्मृति शिक्षण संस्थान, सूरोठ (करौली)~~ (समिति का नाम) द्वारा निवेदन करने पर मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से भूमि दस्तावेजों व् भवन की जांच की गई। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. भूमि का पता : राजस्व ग्राम – सूरोठ तहसील – सूरोठ जिला – करौली . 322252

2. अवस्थिति

	जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर (विकास प्राधिकरण.) क्षेत्र	अन्य सम्भागीय मुख्यालय (संभागीय मुख्यालय की स्थानीय निकाय सीमा)	जिला मुख्यालय (जिला मुख्यालय की स्थानीय निकाय सीमा)	शहरी निकाय (स्थानीय शहरी निकाय की सीमा तक)	अन्य समस्त क्षेत्र
खसरा नंबर				2144, 3407/2146, 2145, 2160/1, 3212/2160, 3221/2159	
भूमि का वर्ग मीटर माप				0.16 हे० = 1600 वर्गमीटर	
भूमि का प्रकार यथा शैक्षणिक / संस्थागत / आवासीय / वाणिज्यिक / कृषि भूमि	शैक्षणिक संस्थागत प्रयोजनार्थ		कुल	0.11 हे० = 1100 वर्गमीटर 0.24 हे० = 2400 वर्गमीटर 0.36 हे० = 3600 वर्गमीटर 0.18 हे० = 1800 वर्गमीटर 0.20 हे० = 2000 वर्गमीटर 1.25 हे० = 125 वर्गमीटर शैक्षणिक संस्थागत प्रयोजनार्थ	

दस्तावेज ~~नगरपालिका~~ अनुसार समिति के नाम रिकॉर्ड में दर्ज उक्त खसरा संख्या / संख्याओं की भूमि मौके पर एकजुट / लगायत है।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त भूमि वर्तमान में संलग्न दस्तावेज अनुसार इंदिरा गांधी स्मृति शिक्षण संस्थान, सूरोठ (करौली) (समिति का नाम) समिति के नाम दर्ज है।

(निम्न में से जो लागू न हो उसे काट दें)

1. उक्त भूमि पर संस्था का स्वयं का प्रस्तावित / संचालित महाविद्यालय का भवन स्थित है।

अथवा

2. उपर्युक्त भूमि व संस्था द्वारा प्रस्तावित महाविद्यालय का ~~किराए का भवन~~ एक ही तहसील सीमा में स्थित है।

24/02/26 प० ह० सूरोठ

24-02-26 ह० सूरोठ

तहसीलदार (सू० अ०) सिमोरी

(हस्ताक्षर, नाम व कार्यालय मोहर)

जिला – करौली (राज०)